संख्या-574/2026/745/22-2-2025-17(790)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजराज सिंह पुत्र श्री रामाधार सिंह, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजराज सिंह पुत्र श्री रामाधार सिंह, गंगौली, थाना-जाफरगंज, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। 07 वर्ष पूर्व हुई हत्या की रंजिश को लेकर दिनांक 25/26.01.1981 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, फरसा व गडास से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-260/1981 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक 08.06.1983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.08.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.08.2019 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 27.12.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 00 माह, 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- दयायाचिका समिति की बैठक-24.02.2025 में जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 27.12.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 06 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बृजराज सिंह (बंदी संख्या-193/2022) पुत्र श्री रामाधार सिंह, निवासी जनपद-फतेहपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बंदी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-574/2026/745(1)/22-2-2025 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in